भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 477
उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2025

भारत संचार निगम लिमिटेड से संबंधित मुद्दे

477. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा अनुबंध अनुपालना, योजना, बिलिंग और आंतरिक नियंत्रण में गंभीर खामियों को उजागर करने वाले हालिया नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त खामियों के कारण हुए 1,944.92 करोड़ रुपए के संचयी वित्तीय नुकसान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीएसएनएल रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आरजेआईएल) के साथ मास्टर सर्विस समझौते को लागू करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप उपयोग की गई अतिरिक्त तकनीकों के लिए बिलिंग न करने के कारण 1,757.76 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीएसएनएल ने 80.64 करोड़ रुपए मूल्य के बड़े आकार के पीआईजेएफ भूमिगत केबलों की खरीद में अपने स्वयं के खरीद मैनुअल से विचलन किया, जो अप्रयुक्त रह गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग के अंतर्गत बीएसएनएल और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामकाज में जवाबदेही तय करने, घाटे की भरपाई करने और ऐसी खामियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 2025 की अपनी रिपोर्ट संख्या 01 में 1,944.92 करोड़ रुपये की कुल संचयी वित्तीय हानि सहित अनुबंध अनुपालना, योजना और बिलिंग में खामियों को निर्दिष्ट किया। सीएजी द्वारा निर्दिष्ट वित्तीय हानि का ब्यौरा अनुबंध-क में दिया गया है।

(ग) बीएसएनएल ने अपने उपकरण स्थापित करने के लिए बीएसएनएल की टावर अवसंरचना को पट्टे पर देने के लिए मैसर्स आरजेआईएल के साथ मास्टर सेवा करार (एमएसए) किए हैं। बीएसएनएल और सरकार को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है। सीएजी का अनुमान ऐड-ऑन टेक्नोलॉजी के क्लॉज़ की गलत व्याख्या पर आधारित था जिसे अब पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से ठीक कर दिया गया है। बीएसएनएल ने तब से आरजेआईएल से संशोधित इन्वाइस जुटाए हैं।

(घ) बड़े आकार की पीआईजेएफ भूमिगत केबलों की खरीद तत्कालीन मौजूदा मानदंडों के अनुसार की गई थी। तथापि दूरसंचार क्षेत्र में बदले हुए प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य के कारण खरीदे गए केबल का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। बीएसएनएल द्वारा 70.32 करोड़ रुपये में अधिशेष केबल का मुद्रीकरण किया गया है और शेष केबल का बिक्री मूल्य लगभग 23 करोड़ रुपये है।

(ङ.) बीएसएनएल और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों में घाटे की भरपाई करने और ऐसी खामियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए करार की धाराओं में अस्पष्टता को दूर करने, अधिशेष इन्वेंट्री का मुद्रीकरण, संशोधित मांगों को जारी करने और वसूली जैसी कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दी गई है कि वे बिलों पर समय से कार्रवाई करें और नीतिगत/व्यावसायिक निर्णय लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।

लोक सभा के दिनांक 23.07.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 477 का अनुबंध–क

रिपोर्ट संख्या	पैरा संख्या	संक्षिप्त	शामिल राशि (करोड़ रुपये में)
	5.1	बीएसएनएल द्वारा पैसिव अवसंरचना शेयरिंग में अंडर बिलिंग	1757.76
2025 का 1	5.2	बीएसएनएल में बड़े आकार के पीआईजेएफ केबलों के अप्रयुक्त रह जाने के कारण व्यय।	80.64
	5.3	बीएसएनएल द्वारा लाइसेंस शुल्क की कटौती न किए जाने के कारण हानि	38.36
	5.4	बीएसएनएल द्वारा पैसिव अवसंरचना शेयरिंग शुल्क में शॉर्ट बिलिंग	29.00
	5.5	जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ न उठाने के कारण हानि	5.43
	5.6	संविदात्मक बकाया राशि की वसूली न होना	4.80
बीएसएनएल कुल			1915.99
	5.7	(ii) खराब परियोजना प्रबंधन और आरवीपीएल को अनुचित लाभ के कारण राजस्व की हानि और निधियों का अवरुद्ध होना।	28.93
कुल योग			1944.92

*****